(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION II) F. No. I-14011/02(A)/2024-IPS-I (E) (I) Government of India Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 25.04.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of the Arunachal Pradesh Police Service to Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint AGMUT Cadre (Arunachal Pradesh Segment) under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2023

S1. No.	Name (S/Shri/Ms)	Date of Birth
1.	Singjatla Singpho	01.01.1977
2.	Bomge Kamduk	14.11.1983

The aforesaid officers will remain on probation for one year as per the rule of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, and the officers will obtain induction training as per sub-rule 5(4) of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, as amended dated 10.05.2011.

> Under Secretary to the Government of India Tel. 011-23094517

То

The Manager, Govt. of India Press. Minto Road, New Delhi-110064

No. I-14011/02(A)/2024-IPS.I (E) (I) New Delhi, Date: 25.04.2025

A copy each is forwarded to: -

- 1. Ministry of Home Affairs (Shri Rakesh Kumar Singh, Under Secretary (UTS I). North Block, New Delhi with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
- 2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - for information.
- 3. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
- Dir. (NIC) for placing on MHA **IPS** link https://ips.gov.in/App_ AGMUT_ AP.aspx.with under heading Select List 2022.

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ) संख्या. I-14011/02(A)/2024-IPS I (इ) (I) भारत सरकार गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक: 25.04.025

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा के निम्निलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत एजीएमयूटी संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश खंड) प्रदान करते हैं:

चयन सूची 2023

क्रमसं0	अधिकारयों के नाम (श्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	सिंगीयतला सींगपहो	01.01.1977
2.	बोमगए कंडुक	14.11.1983

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(संजीव कुमार) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष- 011-23094517

सेवा में, प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।

सं I-14011/02(A)/2024-IPS I (इ) (I)

नई दिल्ली दिनांक: 25.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- गृह मंत्रालय (श्री राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली— यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
- 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
- 3. निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद।
- 4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु । (Under https://ips.gov.in/App.AGMUT_AP.aspx"under heading Select List 2023.

अवर सचिव, भारत सरकार